चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.3(1)(9)I / निर्वा / 2019 / 2657 जयपुर, दिनांकः 19 मार्च, 2019

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन
सचिव / शासन सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : लोकसभा आम चुनाव, 2019 – आदर्श आचार संहिता की पालना– अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 437 / 6 / 1 / ECI/INST/ FUNCT/ MCC/2019 दिनांक 10.03.2019 एवं इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ.3(1)(9) I / निर्वा / 2018 / 2253 दिनांक 11.03.2019, 2266 दिनांक 12.03.2019 एवं 2265 दिनांक 12.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयोग द्वारा दिनांक 10.03.2019 को लोकसभा आम चुनाव–2019 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।

भारत निर्वाचन आयोग एवं इस विभाग के संदर्भित पत्रों के द्वारा सभी राजकीय विभागों एवं राजकीय उपक्रमों / संस्थाओं के अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन नहीं करने और जिनके **स्थानान्तरण / पदस्थापन** के आदेश जारी हो चुके हैं, उनकी क्रियान्विति चुनाव समाप्ति तक नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 2266 दिनांक 12.03.2019 के द्वारा आदर्श आचार संहिता के संबंध में **स्पष्टीकरण / शिथिलता चाहने पर स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से प्रकरण प्रेषित** करने के निर्देश दिये गये हैं।

दिनांक 10.03.2019 को आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व लगभग सभी विभागों में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये हैं तथा उन आदेशों की पालना में कतिपय अधिकारी नवीन पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त भी हो चुके हैं, परंतु आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में आ जाने के कारण वे नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण संबंधित विभागों एवं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव संबंधित कार्य भी प्रभावित होने की संभावना है।

आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 10.03.2019 के बिन्दु सं.–6 में उल्लेखित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं –

P.T.O

1. मुख्य चुनाव अधिकारी की अनुमति के बिना चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक आगे किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया जावे तथा पूर्व में जारी किये गये ऐसे स्थानान्तरण आदेश जिनकी क्रियान्विति दिनांक 10.03.2019 तक नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

2. आयोग के पत्र दिनांक 10.03.2019 के बिन्दु सं.–6 में उल्लेखित अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेशों की क्रियान्विती हेतु संबंधित विभाग द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से प्रस्ताव निर्वाचन विभाग को प्रेषित किया जावें, जिस पर आयोग से अनुमति प्राप्त होने पर ही संबंधित अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश की क्रियान्विति की जा सकेगी।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त विभागों के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2019 तक जारी हो चुके थे एवं उनकी पालना में दिनांक 10.03.2019 तक वे कार्यमुक्त भी हो चुके है तथा यदि उनके नवीन पदस्थापन स्थान पर उक्त पद रिक्त है तो ही उन्हे नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कराया जा सकता है।

4. उपरोक्त बिन्दु सं.– 2 में वर्णित कार्यमुक्त किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के नवीन स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं है तो ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी का पूर्व पद पर स्थानान्तरण निरस्त कर दिया जावे। यदि पूर्व पद किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी के कार्यग्रहण करने के कारण रिक्त नहीं है तो उसके **पदस्थापन/स्थानान्तरण** के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से निर्वाचन विभाग को भिजवाया जावे।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।